

आदेश

रिपट पुलिस दफ्तर न 1 न 12

जाय TDR के आधार पर अप्री आर/आर

इसकी अवस्था की जाय है उप आर/आर

आय आय के

19/5/5

उपखण्ड अधिकारी

.....